



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11513

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 65 वर्ष 2026

मोहम्मद सिराजयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गणेश

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

मैं परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करता/करती हूँ, जिसमें उप-मंडल मजिस्ट्रेट, दुधौ, जिला सोनभद्र को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत मामले (मोहम्मद सिराज बनाम ताज मोहम्मद और अन्य) को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत करने और निर्णय लेने का आदेश/निर्देश दिया जाता है।

3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मामला लंबे समय से लंबित है। उनका तर्क है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मुकदमे का फैसला कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर करे, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"